गंगा के पानी का उपयोग

3013. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी में 400 मिलियन क्यूबिक फीट जल उपलब्ध है और वर्तमान में उपलब्ध जल में से केवल 100 मिलियन क्यूबिक फीट जल का उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गंगा नदी की तलहटी और आस-पास के क्षेत्रों को पानी की आवश्यकता को पूरा करने के बाद भी इस नदी में 200 मिलियन क्यूबिक फीट पानी फालतू रहता है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस नदी का फालतू पानी का समुचित उपयोग करके देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग देने हेतु कोई योजना बनाई है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार भारत में गंगा नदी में औसत वार्षिक प्रवाह 501643 मिलियन घन मीटर (406.6 मिलियन एकड़ फीट) आंका गया है । इसमें से, 250000 मिलियन घन मीटर (203 मिलियन एकड़ फीट) का आकलन उपयोज्य प्रवाह के रूप में किया गया है । इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया गया है कि 2000 ई० तक विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद जल का उपयोग 164534 मिलियन घनमीटर (133.4 मिलियन एकड़ फीट) हो जायेगा ।

(ग) और (घ) मंत्रालय को इस बारे में जानकारी नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा कोई अध्ययन किया गया है ।

(ङ) से (छ) सरकार द्वारा जल संसाधन विकास के लिए 1980 में तैयार किये गये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के अंतरण के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों तथा हिमालयी नदियों के बीच अलग-अलग अन्तः सम्पर्क करने की परिकल्पना की गयी है । राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ये अध्ययन कर रहा है ।

जल संसाधनों के विकास हेतु आबंटित वार्षिक धनराशि

3014. श्रीमती सुषमा स्वराज,
श्री राम जेठमलानी:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जल संसाधनों के विकास हेतु आबंटित की गई वार्षिक धनराशि का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं किया जा सका था ;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में वार्षिक कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और इन वर्षों के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि इन वर्षों के दौरान सिंचित भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका ; और

(घ) यदि हां, तो वे लक्ष्य क्या हैं और वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान वास्तव में क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी रंगैया नायडू) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान बाढ़ नियंत्रण सहित जल संसाधन क्षेत्र में वार्षिक रूप से आबंटित की गई राशि और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटित की गई राशि	व्यय
1991-92	4699.24	4232.04
1992-93	4934.83	4705.41
1993-94	5857.85	5006.01 प्रत्याशित

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता के सृजन के संबंध में लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(मिलियन हेक्टेयर)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1991-92	2.67	2.31
1992-93	2.71	1.92
1993-94	2.69	2.04 (प्रत्याशित)

Seminar on review of Sardar Sarovar Project

3015. SHRIMATI KAMLA SINHA: DR. BAPU KALDATE::

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state;

(a) whether a seminar on 'Report on the review of Sardar Sarover project and implications for development planning' was recently held in Delhi;

(b) if so, what are the details of the suggestions/opinions of experts participating in the seminar; and

(c) the reaction of Government with regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir. However in a meeting held at the Gandhi Peace Foundation, Delhi on January, 7 and 8, 1995 the report of the Five Member Group on Sardar Sarovar Project was discussed.

(b) The participants in the meeting have suggested setting up of an Expert Group of independent scientists, economists and finance specialists to go into all aspects of the Project and reassess its practicability. cost benefits and implications. They have also suggested that pending the reassessment of the project by the Expert Group, further construction work on the project as well as further financial allocation for the project should be suspended.

(c) The project has been thoroughly investigated and approved by the Planning Commission for implementation. It was also appraised and ac-, cepted for financing by the World Bank. Government of India had set up a Five Member group which had gone into the details of the project. The matter including the report of the Five Member Group, is new pending before the Supreme Court- Therefore, proposed reassessment is not considered necesary.